मध्य प्रदेश में पुनर्मतदान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारत के निर्वाचन आयोग]() ने कुछ [इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM)]() के क्षतिग्रस्त होने के बाद मध्य प्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट के चार **बूथों** पर पुनर्मतदान का आदेश दिया।

मुख्य बिंदु:

- पुनर्मतदान 10 मई 2024 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। जिन क्षेत्रों में पुनर्मतदान होगा, वहाँ शुष्क दिवस (Dry Day) और छुट्टी की घोषणा की गई है।
- **बैतूल लोकसभा सीट** पर अनुमानित **72.65% मतदान** दर्ज किया गया।
- बैतूल **मध्य प्रदेश की नौ सीटों में से एक** थी, जहाँ **लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण** में मतदान हुआ।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)

- EVM एक उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोटों/मतों को रिकॉर्ड करने के लिये किया जाता है। इनका **प्रयोग पहली बार** वर्ष **1982** में **केरल के परवूर विधानसभा क्षेत्र में** किया गया था।
  - वर्ष 1998 के बाद से, चुनाव आयोग ने मतपेटियों के बजाय EMV का उपयोग तेज़ी से किया है।
  - वर्ष 2003 में, सभी राज्यों के चुनाव और उपचुनाव EMV का प्रयोग करके आयोजित किये गए थे।
    - इससे उत्साहित होकर **वर्ष 2004** में आयोग ने **लोकसभा चुनावों में केवल EMV का प्रयोग करने का ऐतिहासिक निर्णय** लिया।

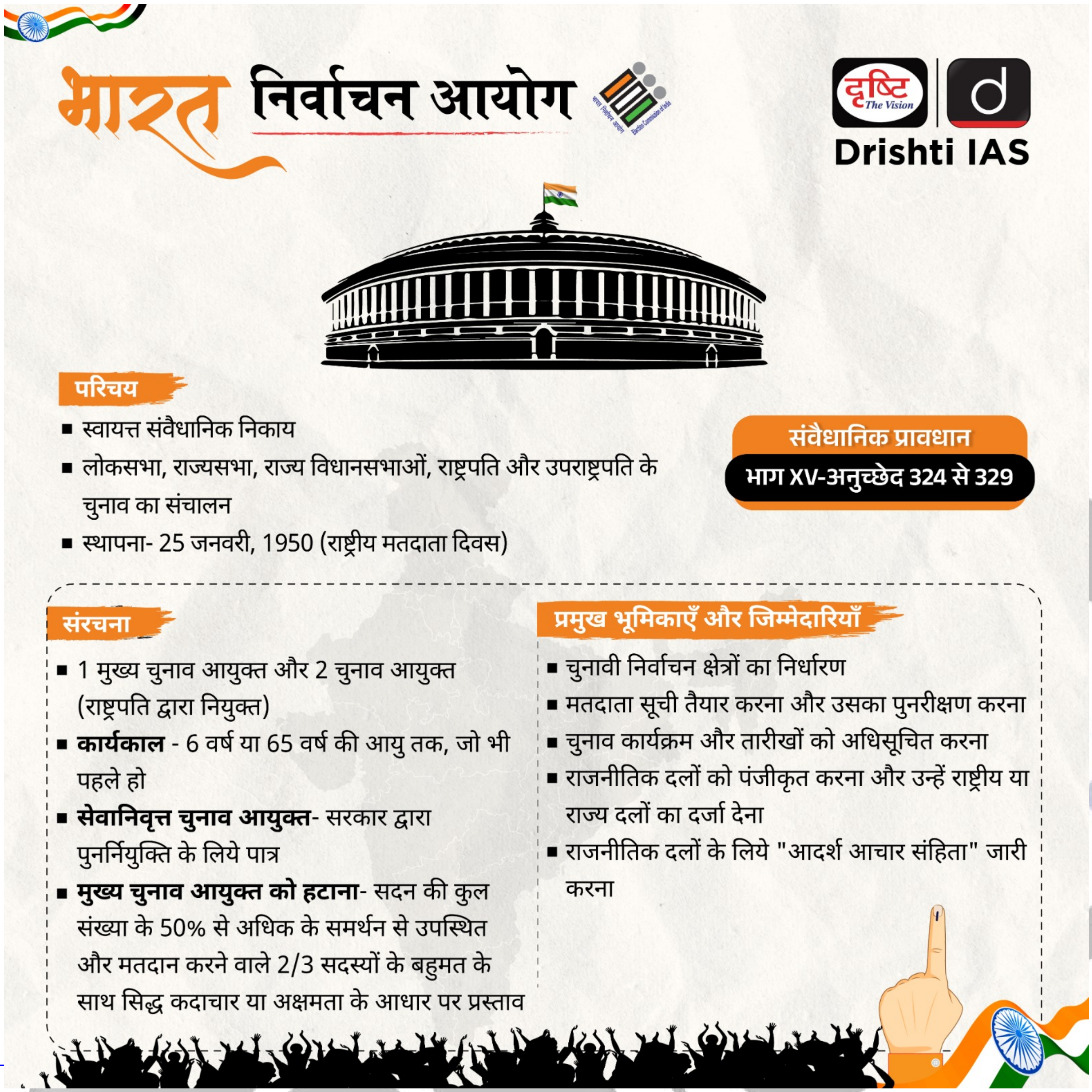

//

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/repolling-in-madhya-pradesh